

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 349 / 2025

- 1 दर्शनसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 2 वीरपाल कौर पत्नी लाभसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम्

1. अजमेर सिंह पि० फुमन सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. गुरमेल सिंह] टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. जसबिन्द्र कौर पुत्री गुरमेल सिंह पत्नी कुलदीप सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी पुरुषोत्तम बास फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. जसवीर कौर पुत्री गुरमेल सिंह पत्नी चन्द सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी पुरुषोत्तम बास फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. सिमरजीत कौर पुत्री गुरमेल सिंह पत्नी गुरमेल सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी तख्तहजारा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. सतपाल सिंह पुत्र लाभसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. मनप्रीत कौर पुत्री लाभसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. सिवा सिंह पुत्र गुरमेलसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

डिक्री


दिनांक 11.1.25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक नं० 4 एम. एस. टी. के खाता सं० 6/5 में कुल 5.060 है० मे प्रतिवादी सं० 1 के 1/5 हिस्सा की आराजी का वादी सं० 1 व प्रतिवादी सं० 2 के 1/5 हिस्सा की

आराजी की वादीया सं० 2 व प्रतिवादी सं० 8 ब०हि०ब० के खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर चकनं० 4 एम.एस.टी. के खाता सं० 6/5 में से अजमेरसिंह व गुरमेल सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/9/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




उपखण्ड (सहायक) कलक्टर (राजस्व) R.A.S)
पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।